तदर्थ आधार पर कार्य करने वाले केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड-4 के अधिकारी

296. **श्री राम विलास पासवान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड-4 (सब-एडीटर) के उन अधिकारियों की सूची सभा पटल पर रखी जायेगी जो गत तीन वर्षों से तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को अभी तक नियमित नहीं किया गया है और इस के कारण क्या हैं ,

(ख) क्या सरकार का विचार उनकी सेवाओं को तीन महीने के अन्दर नियमित करने का है ,

(ग) क्या सरकार का विचार सम्बन्धित कर्मचारियों की जिम्मेदारी निश्चित करने और उन के विरुद्ध कार्यवाही करने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है , और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड-4 में तदर्थ आधार पर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है। अत उनको नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

कम्पनियों द्वारा वार्षिक खातों के सन्तुलन-पत्र प्रस्तुत न करना

297. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की संख्या कितनी है जिनकी सामान्य पूंजी 15 लाख रुपये से अधिक है और जिन्होंने सिर्फ वर्ष 1978-79 के अनिरिक्त गत तीन वर्षों के वित्तीय सन्तुलन-पत्र और लाभ और हानि के लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं ,

(ख) उन में से कितनी कम्पनियों को इस बारे में एक बार, दो बार अथवा तीन बार समय सीमा बढ़ाने की अनुमति दी गई है ,

(ग) उक्त अनुमति किस स्तर पर दी जाती है और अधिकारियों को राज्यवार ऐसी अनुमति कितनी अवधि के लिये देने का अधिकार है और क्या वे अभी भी उन्हीं पदों पर कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) समय पर सन्तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा प्रस्तुत न करने के लिये क्या सजा दी गई और इस बारे में गत तीन वर्षों में कितनी कम्पनियों को सजा दी गई ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) 31-3-1978 तक देश में 15 लाख रु० से अधिक की प्रदत्त पूंजी सहित मोटे तौर से 4,500 प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां थीं। कम्पनियों के कार्य करने के सम्बन्ध में आंकड़े विशिष्ट रूप से, कि उसकी प्रदत्त पूंजी 15 लाख रु० से अधिक है, के सदर्भ में नहीं रखे जाते हैं । इसलिये अपेक्षित आंकड़े एकत्र करने में भारी श्रम और समय लगेगा जिसके परिणाम समानुपातिक नहीं हो सकते हैं।

(ख) और (ग). कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 166 को उप-धारा (i) के द्वितीय परन्तुक की शर्तों में, कम्पनी रजिस्ट्रार किसी विशेष कारण से वार्षिक महासभा की बैठक (प्रथम वार्षिक महासभा की बैठक न होने पर) सम्पन्न करने के लिए 3 महीनों की अवधि से अधिक न होते हुए समय बढ़ा सकता है । वार्षिक महासभा की बैठक सम्पन्न करने के लिए इस प्रकार के समय विस्तार से शेयरधारियों और कम्पनी रजिस्ट्रारों को तुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखे प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने का प्रभाव होता है ।

कम्पनी रजिस्ट्रारों द्वारा यथा अनुमादित या निरस्त वार्षिक महासभा की बैठकें सम्पन्न करने के लिए समय विस्तार धारा 166(i) के अन्तर्गत आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में सूचना निम्नांकित है --

वर्ष	अनुमोदित	निरस्त
1975-76	2014	1200
1976-77	2252	1265
1977-78	2246	1188

उपलब्ध सूचना से कम्पनियों की संख्या, जिनको कम्पनी अधिनियम की धारा 166(i) के अन्तर्गत एक बार, दो बार या तीन बार समय विस्तार की अनुमति दी गई है, सुनिश्चित करना सम्भव है ।

कम्पनी रजिस्ट्रारों को सूची, उस अवधि सहित, जबसे वे कथित पदों पर हैं, संलग्न विवरण में दी जाती है ।